रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12042021-226525
CG-DL-E-12042021-226525

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 208]	**नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 12, 2021/चैत्र 22, 1943**
No. 208]	**NEW DELHI, MONDAY, APRIL 12, 2021/CHAITRA 22, 1943**

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2021

सा.का.नि. 259(अ).—केंद्र सरकार, एतद्द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) की धारा 29 की उप-धारा (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कैल्शियम कार्बाइड नियम, 1987 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमों के मसौदे का प्रस्ताव करती है जिसे, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) की धारा 29 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार उन व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध होने की तारीख से 30 दिन की अवधि के समाप्त होने के बाद उक्त मसौदे पर विचार किया जाएगा;

इन मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव, यदि कोई हो, को ऊपर निर्धारित अवधि के भीतर श्री सुशील सतपुते, निदेशक, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कमरा नं.265,उद्योग भवन, नई दिल्ली–110 107 को भेजा जा सकता है अथवा sushil.satpute@nic.in पर ईमेल किया जा सकता है।

केंद्र सरकार द्वारा ऊपर निर्धारित अवधि के भीतर मसौदा नियामों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त आपत्ति और सुझाव पर विचार किया जाएगा।

मसौदा नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कैल्शियम कार्बाइड (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में उनके अंतिम रूप से प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. उक्त नियम में, नियम 31 में, उप-नियम (1) में,"अधिक से अधिक 3 वर्ष" शब्दों के स्थान पर "अधिक से अधिक 10 वर्ष" शब्दों को रखा जाएगा।

3. उक्त नियम में, नियम 34 में, उप-नियम (1) (ख) में,"10 रू. संवीक्षा फीस" शब्दों और अंकों के स्थान पर "100 रू. संवीक्षा फीस" शब्दों और अंकों को रखा जाएगा।

4. उक्त नियम में, नियम 35 में, उप-नियम (2) (ख) में,"10 रू. फीस" शब्दों और अंकों के स्थान पर "100 रू. फीस" शब्दों और अंकों को रखा जाएगा।

5. उक्त नियम में, नियम 37 में, उप-नियम (2) में,"तीन कलेण्डर वर्ष के लिए" शब्दों के स्थान पर "दस कलेण्डर वर्ष के लिए" शब्दों को रखा जाएगा।

6. उक्त नियम में, नियम 42 में, उप-नियम (2)(iii) में,"10 रू. फीस" शब्दों और अंकों के स्थान पर "100 रू. फीस" शब्दों और अंकों को रखा जाएगा।

7. उक्त नियम में, नियम 42 में, उप-नियम (2) में,"10 रू. फीस संदाय" शब्दों और अंकों के स्थान पर "100 रू. फीस संदाय" शब्दों और अंकों को रखा जाएगा।

8. उक्त नियम में, नियम 44 में, उप-नियम (2) में,"10 रू. फीस संदाय" शब्दों और अंकों के स्थान पर "100 रू. फीस" शब्दों और अंकों को रखा जाएगा।

9. उक्त नियम में, नियम 45 में, उप-नियम (2) में,"10 रू. फीस संदाय" शब्दों और अंकों के स्थान पर "100 रू. फीस" शब्दों और अंकों को रखा जाएगा।

10. उक्त नियम में, नियम 46 का लोप किया जाएगा और निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(1) इन नियमों के तहत मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक को देय सभी शुल्क का भुगतान ई-भुगतान के माध्यम से या गैर कर रसीद पोर्टल (भारत कोष) के माध्यम से किया जाएगा।

(2) इन नियमों के तहत जिला प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी को देय शुल्क का भुगतान उस प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से किया जाएगा"

11. उक्त नियम में, अध्याय VII में, उप-नियम (1) (क) में, "(तार का पता एक्सप्लोसिव्स, नागपुर)" शब्दों के स्थान पर "ईमेल: explosives@explosives.gov.inद्वारा" शब्दों को रखा जाएगा।

12. उक्त नियम में, पहली अनुसूची में, अनुच्छेद संख्या 1 में, कॉलम 5 में, शीर्ष "फीस" के तहत "रु. 25" शब्दों और अंकों के स्थान पर "रु. 250" शब्दों और अंकों को रखा जाएगा।

13. उक्त नियम में, पहली अनुसूची में, अनुच्छेद संख्या 2 में, कॉलम 5 में, शीर्ष "फीस" के तहत "प्रथम 500 कि.ग्रा. के लिए 25 रू. और प्रत्येक अतिरिक्त 500 कि.ग्रा.या उसके भाग के लिए 10 रू. किन्तु यह प्रत्येक कलेंडर वर्ष या उसके भाग के लिए 1500 रू. अधिकतम के अधीन रहते हुए होगा" शब्दों और अंकों के स्थान पर "प्रथम 500 कि.ग्रा. के लिए रू.250 और प्रत्येक अतिरिक्त 500 कि.ग्रा.या उसके भाग के लिए रू. 100 किन्तु यह प्रत्येक कलेंडर वर्ष या उसके भाग के लिए रू.15,000 अधिकतम के अधीन रहते हुए होगा" शब्दों और अंकों को रखा जाएगा।

14. उक्त नियम में, दूसरी अनुसूची में, प्ररूप I में, नियम 4 में शब्दों

"टेलीग्राफ का पता,

टेलेक्स" के स्थान पर

"अक्षांश और देशांतर:

ईमेल पता:"

को रखा जाएगा।

15. उक्त नियम में, प्ररूप II में, शर्त 15 के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

कैल्शियम कार्बाइड की प्राप्ति और बिक्री का खाता

अनुज्ञप्ति संख्या

नोट: इस रिकॉर्ड को अद्यतित रखा जाना चाहिए। प्रविष्टियां दैनिक रूप से और जब भी कैल्शियम कार्बाइड की प्राप्ति या बिक्री हो तब की जानी चाहिए।

तारीख	प्रारंभिक शेष कि.ग्र. में	प्राप्त कार्बाइड कि.ग्र. में	पैकेज की संख्या और प्रकार	आपूर्तिकर्ता का नाम, पता और नंबर	बिक्री किया गया कार्बाइड किग्रा में	पैकेजेस की संख्या और प्रकार	उन व्यक्तियों के नाम, पता और अनुज्ञप्ति संख्या जिन्हें कारबाईड बेचा गया	जमा शेष	अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

16. उक्त नियम में, प्ररूप III में, शर्त 15 के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:

कैल्शियम कार्बाइड की प्राप्ति और बिक्री का खाता

अनुज्ञप्ति संख्या

नोट: इस रिकॉर्ड को अद्यतित रखा जाना चाहिए। प्रविष्टियां दैनिक रूप से और जब भी कैल्शियम कार्बाइड की प्राप्ति या बिक्री हो तब की जानी चाहिए।

तारीख	प्रारंभिक शेष कि .ग्र. में	प्राप्त कार्बाइड कि .ग्र.में	पैकेज की संख्या और प्रकार	आपूर्तिकर्ता का नाम, पता और नंबर	बिक्री किया गया कार्बाइड किग्रा में	पैकेजेस की संख्या और प्रकार	उन व्यक्तियों के नाम, पता और अनुज्ञप्ति संख्या जिन्हें कारबाईड बेचा गया	जमा शेष	अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

[फा. सं. P-13013/1/2021-EXPLOSIVE]

सुमिता डावरा,अपर सचिव

नोट-भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 105 (अ),तारीख 18 फरवरी, 1987 द्वारा मूल नियम प्रकाशित किए गए थे और बाद में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 109(अ) तारीख 28 फरवरी, 1990 द्वारा संशोधन किया गया और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 647(अ) तारीख 20 अगस्त, 2015 और अधिसूचना संख्या सा.का.नि.1094 (अ) तारीख 8 नवंबर, 2018 द्वारा संशोधन किया गया।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2021

G.S.R.259(E).—The draft of the following rules to amend the Calcium Carbide Rules, 1987, which Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (2), (3) of section 29 of the Petroleum Act, 1934 (30 of 1934) is hereby published as required by sub-section (4) of section 29 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of a period of 30 days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification are made available public.

Objections or suggestions if any, to these draft rules may be sent to the Shri Sushil Satpute, Director, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Room No. 265, Udyog Bhavan, New Delhi – 110 107 or Email: sushil.satpute@nic.in; within the period specified above;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules within the period above so specified will be taken into consideration by the Central Government.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Calcium Carbide (Amendment) Rules, 2021

   (2) These shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the said rules, in Rule 31, sub-rule (1) the words "maximum of three years" shall be substituted with "maximum of ten years".

3. In the said rules, in Rule 34, sub-rule (1)(b), the words and figure "a scrutiny fee of Rs 10" shall be substituted with "a scrutiny fee of Rs 100"

4. In the said rules, in Rule 35, sub-rule (2)(b), the words and figure "a fee of Rs 10" shall be substituted with "a fee of Rs 100"

5. In the said rules, in Rule 37, sub-rule (2), the words "for three calendar years" shall be substituted with "for ten calendar years".

6. In the said rules, in Rule 42, sub-rule (2)(iii), the words and figure "a fee of Rs 10" shall be substituted with "a fee of Rs 100".

7. In the said rules, in Rule 43, sub-rule (2), the words and figure "A fee of Rs. 10" shall be substituted with "A fee of Rs 100".

8. In the said rules, in Rule 44, the words and figure "a fee of Rs. 10" shall be substituted with "a fee of Rs 100".

9. In the said rules, in Rule 45 sub-rule (2), the words and figure "a fee of Rs. 10" shall be substituted with "a fee of Rs 100".

10. In the said rules, the Rule 46 shall be deleted and substituted with;

    (1)All fees payable under these rules to the Chief Controller or Controller shall be paid through e-payment or through Non Tax Receipt Portal (Bharat Kosh)

    (2) fees payable to District Authority or any other authority under these rules shall be paid in such a manner as may be specified by that authority"

11. In the said rules, in Chapter VII, sub-rule (1)(a), the words "by an express telegram (Telegraphic Address: Explosives, Nagpur) shall be substituted with "by an email: explosives@explosives.gov.in"

12. In the said rules, in the First Schedule, in Article No. 1, in column 5 under the heading "Fees" the words and figures "Rs. 25" shall be substituted with "Rs 250"

13. In the said rules, in the First Schedule, in Article No 2, in column 5 under the heading "Fees" the words and figures "Rs. 25 for the first 500 Kgs plus Rs 10 for additional 500 Kgs or part thereof, subject to maximum of Rs 1,500 per calendar year" shall be substituted with "Rs. 250 for the first 500 Kgs plus Rs 100 for additional 500 Kgs or part thereof, subject to maximum of Rs 15,000 per calendar year"

14. In the said rules, in the Second Schedule, Form I in Rule 4 the words

    "Telegraphic address,

Telex"

shall be replaced with

"Latitude & Longitude:

Email address:"

15. In the said rules, in the Form II after Condition 15, following shall be inserted namely:

Account of Receipt and Sale of Calcium Carbide

License No

Note: This record should be kept up to date. Entries should be made daily and as and when Calcium Carbide is received or sold.

Date	Opening Balance Kgs	Carbide received Kgs	Type and No of packages	Name, address &license No of supplier	Carbide sold Kgs	Types & No of packages	Name, address &License No of persons to whom Carbide was sold	Closing Balance	Sign of licensee	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

16. In the said rules, in the Form III after Condition 15, following shall be inserted namely:

Account of Receipt and Sale of Calcium Carbide

License No

Note: This record should be kept up to date. Entries should be made daily and as and when Calcium Carbide is received or sold.

Date	Opening Balance Kgs	Carbide received Kgs	Type and No of packages	Name, address & license No of supplier	Carbide sold Kgs	Types & No of packages	Name, address & License No of persons to whom Carbide was sold	Closing Balance	Sign of licensee	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

[F. No. P-13013/1/2021-EXPLOSIVE]

SUMITA DAWRA, Addl. Secy.

Note: The principle rule were published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub section (i), *vide* notification number, G.S.R.105(E) dated the 18th February, 1987 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 109(E) dated the 28th February, 1990, notification number G.S.R. 647(E) dated the 20th August, 2015 and notification number G.S.R. 1094(E) dated the 8th November, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.04.12 19:10:18 +05'30'